29

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......50....../17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल टी0भी0एस0 विक्की रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-3813

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
2.2.18	अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद विभाग द्वारा विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–515/17 में दिनांक–05.11.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (b) के तहत मोटर साईकिल टी0भी0एस0 विक्की रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19K-3813 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विशेष वाद (उत्पाद) संख्या–515/17 में दिनांक–05.11.17 में गुप्त सूचना के आधार पर अवर निरीक्षक उत्पाद च0 दल के पर्यवेक्षण में अपने उत्पाद बल, प्रतिनियुक्त सैप बल एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी के साथ उल्लेखित स्थान व समयानुसार उपस्थित गवाहों के समक्ष गस्ती के क्रम में एक टी0भी0एस0 विक्की टू ह्वीलर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19K-3813 पर दो व्यक्ति सवार होकर बरियाही से दिवारी स्थान की ओर आ रहा था। पुलिस को दूर से ही देखकर मोटर साईकिल को पीछे तरफ घुमाकर भागा। जिसमें से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। संदेह के आधार पर चिमनी के पास उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उक्त मोटर साईकिल के अगले भाग में रखा एक कार्टून में रॉयल स्टेग ब्रांड का 375 एम0एल0 का 12 पीस विदेशी शराब बरामद किया गया। घटना स्थल पर जप्ती सूची तैयार कर प्रदर्श का नमूना तैयार किया गया। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के अधीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्श को जप्त किया गया। घटना	

2.2.18

स्थल पर सभी कार्रवाई विधिवत सम्पन्न किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में दिनांक–05.11.17 को अग्रतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया। प्रतिवेदन में बताया गया है कि सभी जब्त विदेशी शराब का नमूना के तौर पर न्यायिक आदेश के पश्चात विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना भेजा गया है। उक्त विदेशी शराब और जब्त वाहन को जप्त कर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि मालिक टी0भी0एस0 विक्की रजिस्ट्रेशन नं0–बी0आर0 19 के0 3813 दिवाकर शर्मा पिता कामो शर्मा सा0 धकजरी थाना सोनवर्षा कचहरी जिला सहरसा के नाम से है। उपरोक्त वाद में कहना है कि मैं एक गरीब अनुसूचित जाति का युवक हूँ। मैं दैनिक समाचार पत्र बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करता हूँ। दिनांक–05.11.17 के सुबह जब मैं अखवार लेने सहरसा जंक्शन के बाहर अपना उपरोक्त टी0भी0एस0 विक्की लगाकर प्लेट फार्म पर दैनिक समाचार के डीलर सजन यादव के पास गया वो पेपर प्राप्त कर जब अपने टी0भी0एस0 विक्की पर रखा तो मुझे चारो तरफ से उत्पाद विभाग के पुलिस घेर लिया तथा मुझे बोला तुम अभी–अभी एक कार्टुन शराब लेकर आ रहा था पुलिस को देखकर बसोना चिमनी के पास कार्टुन फेका है तुम को हम गिरफ्तार करते है यह कह कर मुझे अपने जीप पर बैठा लिया तथा मेरे टी0भी0एस0 विक्की को जप्त कर लिया तथा यह झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल भेज दिया। इस मुकदमा में जमानत मिलने के पश्चात् जेल से निकल कर जब घर आया तो मुझे टी0भी0एस0 विक्की अधिहरण की नोटिश पिताजी के द्वारा दिया गया कि मेरे मोटर साईकिल से कोई भी शराब बरामद नहीं हुआ है न ही मैं शराब बेचने का काम करता हूँ न ही आज तक इस केश के अलावा कोई भी मुकदमा मुझ पर हुआ है। उत्पाद पुलिस का यह कहना सरासर झूठा है कि बसोना चिमनी के निकट से गिरफ्तार किया गया है जबकि मेरी गिरफ्तारी सहरसा प्लेट फार्म के निकट वाले हाता से किया गया है जिसको वहाँ उपस्थित भेण्डर एवं अन्य लोगों ने देखा है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ मेरे पिताजी रिक्शा चालक है एवं मैं दैनिक समाचार पत्र इस टी0भी0एस0 विक्की से बेच कर अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करता हूँ अगर मोटर साईकिल श्रीमान् द्वारा इस वाद में अधिहरण कर लिया जाता है तो मेरे एवं

	मेरे परिवार के समक्ष भुखमरी का संकट आ जाएगा। अभी यह झूठा मुकदमा न्यायालय में लंबित है तथा इस मुकदमा का उत्पाद विभाग को मेरे खिलाफ साबित करना होगा जब तक मुकदमा साबित नहीं हो जता है तब तक इस मुकदमा के माध्यम से मेरे टी0भी0एस0 विक्की अधिहरण करना न्यायहित में उचित नहीं होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो वह कार्रवाई नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय द्वारा मुकदा में अंतिम आदेश पारित होने तक इस मुकदमा की कार्रवाई स्थगित करने कीकृपा की जाय तथा मुझे मेरी उपरोक्त टी0भी0एस0 विक्की उचित मूल्य के जमानत पर मुक्त किया जाय ताकि मैं अपना कारोवार कर परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट हो कि इनके वाहन से अवैध शराब का परिवहन नहीं किया गया है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा अधीक्षक उत्पाद, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त वाहन टी0भी0एस0 विक्की रजिस्ट्रेशन नं0–BR-19K-3813 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 2.2.19 समाहर्त्ता, सहरसा। 2.2.19 समाहर्त्ता, सहरसा।	

ज्ञापांक 16-2 / विधि, 12-02-2019 सहरसा, दिनांक 12-02-2019

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
09-02-19